पीठासीन अधिकारी :– मूलचन्द आर.ए.एस

अपील संख्या 2018/00418 (301/2018) 225 आरटीएक्ट

रामकुमार पुत्र ताराचन्द जाति बिश्नोई निवासी किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

––अप्रार्थी/अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र हजारीराम जाति नाई निवासी किशनपुरा उतरादा तहसील सगरिया जिला हनमानगढ

––प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट

2. राजपाल पुत्र श्री गोपीराम जाति नाई निवासी किशनुपरा उतरादा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
3. बाधुदेवी पत्नी श्री गोपीराम जाति नाई निवासी किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
4. सुभाष पुत्र श्री बलवन्त राम जाति बिश्नोई निवासी किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
5. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर। –– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.08.2017 द्वारा उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर प्रकरण संख्या 31/2017 बअनवानी राजेन्द्र कुमार बनाम रामकुमार आदि

श्री खुशप्रीत सिंह संधू, अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री विनोद पारिक अधिवक्ता रेस्पो0

श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 5

निर्णय

दिनांक –14.03.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश किया। प्रार्थना–पत्र में चक 17 पीटीपी के खाता संख्या 67/76 प. नं. 109/42 मु. नं. 5 किला नं. 11 में छः फुट चौड़ाई एवं 40 फुट लम्बाई में उत्तर से दक्षिण रास्ता स्वीकृत करने एवं राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का अनुतोष मांगा। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.08.2017 पारित किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एव पत्रावल का अवलोकन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
हनुमानगढ़ (राज०),

सत्यमेव जयते
Web Copy – Not Official

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि चक 17 पीटीपी के खाता संख्या 67/76 के मु. नं. 5, 6, 7, 8 का संयुक्त खाता के लिए मु. नं. 5 व 8 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में तीन तीन बिस्वा रास्ता स्वीकृतशुदा है। इस संयुक्त खाता के लिए रास्ता उपलब्ध है। संयुक्त खाता का विभाजन होने पर रेस्पाडेण्ट द्वारा कथित भूमि रेस्पोडेण्ट के बंटवारे में आने पर विभाजन में आवश्यकतानुसार रास्ता व खाला की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती। अधीनस्थ न्यायालय ने संयुक्त खाता की भूमि में रास्ता स्वीकृत कर भारी गलती की है। रेस्पोडेण्ट के पास अपनी भूमि में आने जाने के लिए पूर्व में ही खाता संख्या 78/75 के मु. नं. 5 के किला नं. 6, 15, 16 व मुरब्बा नं. 8 के किला नं. 5 व 6 के मध्य रास्ता उपलब्ध है। रेस्पोडेण्ट ने दुर्भावनापूर्वक अपीलाण्ट को परेशान करने के लिए यह रास्ता स्वीकृत करवाया है। धारा 251 ए के तहत रास्ते की परम आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है, जबकि रेस्पोडेण्ट के पास अपनी भूमि में जाने के लिए रास्ता है। तहसीलदार की रिपोर्ट में भी संयुक्त खाता को रास्ता होना व नहर पर रास्ता न होना स्पष्ट अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस रिपोर्ट का अपने निर्णय में कोइ जिक्र नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं मौका देखना अंकित किया है लेकिन अपीलाण्ट को मौका देखने की कोई सूचना नही दी गई। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अकेले ने ही रास्ता की मांग की थी। अन्य खातेदारान ने मांग नहीं की थी इसलिए रेस्पोडेण्ट संख्या-1 अकेले का आवेदन पत्र न चलने के काबिल है। कानूनन अपीलाण्ट के अकेले की भूमि में से रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। रास्ता स्वीकृत होने से अपीलाण्ट की भूमि कम हो गई है। उसके पास पहले ही बहुत कम भूमि है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2014 (1) पेज 40, डीएनजे 2017 पेज 299, आरआरटी 2016 (1) पेज 649 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जहां से रास्ता स्वीकृत हुआ है वह भूमि पूर्व में रेस्पोडेण्ट प्रार्थीगण के परिवार की भूमि थी। रेस्पोडेण्ट द्वारा पूर्व में आपसी सहमति से इसी भूमि में से आवागमन किया जाता रहा है। रेस्पोडेण्ट के चाचा रामप्रताप ने यह भूमि अपीलाण्ट को बेचान कर दी, जिस पर अपीलाण्ट ने भूमि को खरीदने के बाद के पश्चात् रास्ता के आवागमन में बाधा उत्पन्न की। जिसके कारण रेस्पोडेण्ट को रास्ते की आवश्यकता हुई। नहर के पास से रास्ता स्वीकृत किया गया था। नहर की पाल के पास रास्ता के आवागमन

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पूर्व में ही चालू था वहां रास्ता स्वीकृत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. प्रश्नगत भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है। दोनों पक्षकारों के मध्य संयुक्त खाता की भूमि रास्ते के संदर्भ में आपसी विवाद है। संयुक्त खातेदारी की जमीन से लगता हुआ गैर मुमकिन रास्ता पेहले से ही मौजूद है, जिससे संयुक्त खातेदारी की जमीन में पहूंचा जा सकता है। एक सहखातेदार द्वारा दूसरे सहखातेदार को बाहमी बंटवारे के आधार पर काश्त के अपनी भूमि में पहूचाने पर विवाद है। हालांकि सहखातेदार एक खातेदार दूसरे सह खातेदार द्वारा आवागमन हेतु रोका जाना न्यायोचित नही है एवं पूर्व में चल रहे रास्ते से आवागमन करने से रोकना अनुचित है। जिसके लिए विभाजन की प्रक्रिया द्वारा रास्ते की व्यवस्था का प्रावधान विभाजन के तहत करवाया जा सकता है। इसके अलावा चालू रास्ते को बंद करने की स्थिति में नियमानुसार धारा 251 के तहत कार्यवाही करते हुए सुनवाई हेतु स्वतंत्र है। जहां तक 251 ए के तहत नवीन रास्ते का प्रावधान करने का प्रश्न हैं यह कार्यवाही अविभाजित भूमि के बिना विभाजन के सहखातेदार के मध्य 251 ए के तहत रास्ते को स्वीकृत करते हुए उसको अंकित करना उचित नहीं है जब संयुक्त खातदारी की भूमि तक पहूंचने लिए पूर्व में स्वीकृत रास्ता मौजूद है। इसके अलावा जिस तरफ से रास्ता मांगा जा रहा है वहां से पूर्व में स्वीकृत रास्ता नहीं है, बल्कि गैर मुमकिन नहर से जोड़ते हुए रास्ता स्वीकृत करना चाहता है । हालांकि काश्तकारी के उद्देश्य से आवागमन हेतु रास्ता पक्षकारान की सहमति से रास्ता पूर्व से चल रहे रास्ते को बाधित करना उचित नही है। जिसके लिए सहखातेदारों के मध्य सुखाधिकार की उचित प्रक्रिया द्वारा धारा 251 के तहत रास्ता खुलवाने हेतु स्वतंत्र है। सहखातेदार की भूमि में बिना विभाजन प्रक्रिया के पालन किये नया रास्ता स्वीकृत करना उचित नहीं है। वकील अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2019 (1) पेज 649 में इसी तरह का निर्धारण राजस्व मण्डल द्वारा किया गया है। प्रस्तुत कानूनी दृष्टान्त प्रकरण की परिस्थितियों पर चस्पा होते हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर रेस्पोडेण्ट्स सहखातेदारों के मध्य विभाजन प्रक्रिया द्वारा अथवा धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सुखाधिकार की

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उचित प्रक्रिया द्वारा स्वीकृत रास्ता खुलवाने के लिए स्वतंत्र है किन्तु सह खातेदारान की भूमि के बिना विभाजन प्रक्रिया के पालना किए धारा 251 ए के तहत नया रास्ता स्वीकृत करना उचित नही है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.08.2017 निरस्त किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

14/03/19

(मूलचन्द आर.ए.एस.)

राजस्व अपील प्राधिकारी

हनुमानगढ (राज.)

राजस्व अपील अधिकारी

हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official